under section 58 of the Delhi Development Act, 1957. [Placed in the Library. *See* No. LT-944/98]

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) First Annual Report and accounts of the Delhi metro Rail Corporation Limited, for the year 1995-96, together with the Auditors' Report on the Accounts. [Placed in the Library. *See* no. LT-1100/98]

(ii) Second Annual Report and Accounts of the Delhi Metro rail Corporation Limited, for the year 1996-97 together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above. [Placed in the Library. *See*No. LT-1101/98]

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Urban Affairs and Employment), and Housing and Urban Development Corporation Limited, for year 1998-99. [Placed in the Library. *See* No. LT-946/98]

(ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Minsitry of Urban Affairs and Employment), and National Building Construction Corporation Limited, for the year 1998-99. [Placed in the Library. *See* No. LT-945/98]

Report & Accounts (1996-97) of National Institute of Rock Mechanics, Kolar (Karnataka), and related Papers

THE MINISTER OF STEEL & MINES (SHRI NAVEEN PATNAIK): Sir, I lay on the table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Annual Report and Accounts of the National Institute of Rock Mechanics, Kolar (Karnataka), for the year 1996-97, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(ii) Review by government on the working of the above Institute.

(iii) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above. [Placed in the Library. *See* No. LT-955/98]

I. **Report and Accounts (1996-97) of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur & Related Papers.**

II. **Report (1991-92) on the scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 & related papers.**

III. **Report (1992-93) of the Commissioner for linguistic minori-**
ties in India & related papers.

IV. **Report & Accounts (1996-97) of National Insfitute for the orthopedically Handicapped, Calcutta & related papers.**

V. **Report & accounts (1996-97) of the Institute for Physically Handicapped, New Delhi & related Papers.**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) महोदय। मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:— कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1)

के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

I. (i) 1996-97 के वर्ष के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन, और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सहित।

(ii) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (I) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी-584/98]

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

II. (i) (क) 1991 और 1992 के वर्षों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन उपर्युक्त अधिनियम के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 586/98]

III. (क) संविधान के अनुच्छेद 350ख के खण्ड (2) के अधीन भारत में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का 33वां प्रतिवेदन।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक टिप्पण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 584/98]

IV. (क) 1996-97 के वर्ष के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि आर्थोपेडिकली हैंडिकेप्ड, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन, और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त इंस्टीट्यूट के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 582/98]

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

V. (क) 1996-97 के वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट फॉर दि फिजिकली हैंडिकेप्ड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त इंस्टीट्यूट के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 581/98]

Notifications of the Ministry of Coal

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

I. कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1998 को अन्तर्विष्ट करने वाली अधिसूचना सा०का०नि० सं० 123 (अ), दिनांक 5 मार्च, 1998 के शुद्धि-पत्र को प्रकाशित करने वाली कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सा०का०नि० सं० 269 (अ), दिनांक 25 मई, 1998 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

II. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 की धारा 7-क के अधीन कोयला मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(1) कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० 123 (अ), दिनांक 5 मार्च, 1998.